दिल्ली की दीवानी याचिका और अपील पर एक साथ होगी सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 5 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी को राज्य घोषित करने की मांग से जुड़े दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमे और दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश एवं उपराज्यपाल को उसका प्रशासनिक प्रमुख बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सरकार की अपील की अब एक साथ सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह हाईकोर्ट के गुरुवार के निर्णय के खिलाफ जल्द ही एक याचिका दायर करेगी जिसके बाद न्यायमूर्ति एके सिकरी एवं न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने यह बात कही।

आप सरकार का पहले का एक मुकदमा जब सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने कहा कि आप सरकार को अपने पहले के दीवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमन की पीठ ने कहा कि आपको दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी होगी। हाईकोर्ट ने मुद्दे पर सही फैसला दिया है या गलत, उस पर सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के तहत फैसला करेगा। इस मुकदमे का अब क्या मतलब रह जाता है? कार्यवाही को दोहराने का क्या मतलब है?

अदालत की ओर से यह टिप्पणी तब की गई, जब अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुई वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्दी ही एक ताजा अपील शीर्ष अदालत में दायर की जाएगी। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से पहले दायर मूल दीवानी मामले की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की। इस मूल मामले के तहत दिल्ली सरकार ने कई राहतों की मांग की थी जिनमें राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर राज्य घोषित करने की मांग शामिल थी। उन्होंने कहा कि मुकदमे और जल्दी ही दायर की जाने वाली विशेष अवकाश याचिका पर एकसाथ सुनवाई की जाए।

केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और महान्यायवादी रंजीत कुमार ने दिल्ली सरकार की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे एक ही चीज के

● सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश फैसला करेंगे कि कौन सी पीठ सुनवाई करेगा

लिए दो समानांतर रास्ते नहीं अपना सकते। पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिकाओं में से एक याचिका को अनावश्यक करार दिया। जिसमें उसने उपराज्यपाल के साथ शक्तियों के संघर्षों संबंधी अपनी याचिका पर हाईकोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी।

पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा कि वह उसे उन मामलों के बारे में बताए जिनका पहले ही हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाए फैसले में उल्लेख किया था। पीठ ने दिल्ली सरकार के निवेदनों पर गौर किया और मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। उसने स्पष्ट किया कि मुकदमा और एसएलपी पर एक साथ सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश इस बात पर फैसला करेंगे कि इस मामले पर कौन सी पीठ सुनवाई करेगी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि दिल्ली संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश ही है उपराज्यपाल इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली से संबंधित विशेष संवैधानिक प्रावधान 239 एए केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 239 के प्रभाव को कम नहीं करता। इसलिए प्रशासनिक मुद्दों में उपराज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। पीठ ने आप सरकार की यह दलील स्वीकार नहीं की कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के तहत विधान सभा द्वारा बनाए गए कानूनों के संबंध में केवल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं। पीठ ने इसे आधारहीन बताया।

पीठ ने 194 पेज के अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 एए को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून 1991 व दिल्ली एनसीटी सरकार कामकाज नियम 1993 के साथ पढ़ने पर यह साफ नजर आता है कि दिल्ली उसके संबंध में विशेष प्रावधान संबंधी अनुच्छेद 239 एए को जोड़ने वाले संविधान (69वां संशोधन) कानून 1991 के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। दिल्ली सरकार की लगभग हर बात खारिज करते हुए अदालत ने हालांकि उसकी इस बात पर सहमति जताई कि उपराज्यपाल को विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में उसकी सलाह पर काम करना होगा।

अमेठी के आइआइआइटी को बंद करने का फैसला सही : जावड़ेकर

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइआइटी) को बंद किए जाने को उचित ठहराते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कानून ऐसे ऑफ कैंपस सेंटर को अनुमति नहीं देता और वहां की सुविधाओं से छात्र भी नाखुश थे।

जावड़ेकर ने राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर कहा कि कुछ सदस्यों ने गुरुवार को अमेठी के आइआइआइटी को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था और वे इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अमेठी के आइआइआइटी को मंजूरी साल 2005 में दी गई थी और यह 2005-2006 में शुरू हुआ था। यह पूर्णकालिक आइआइआइटी था लेकिन इलाहाबाद में आइआइआइटी का ऑफ कैंपस है।

बीएसएफ जवानों की हरकत का मामला उठा लोकसभा में

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा छात्राओं से कथित छेड़छाड़ करने का मामला शुक्रवार को लोकसभा में उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से छात्राओं से छेड़खानी करने और इसी को लेकर नौवीं कक्षा की एक छात्रा की कथित आत्महत्या का मामला उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

चीन ने भारतीय क्षेत्र में सड़क नहीं बनाई : पर्रीकर

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)। रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने शुक्रवार को बताया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में किसी सड़क का निर्माण नहीं किया है।

लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के सवालों के जवाब में रक्षामंत्री ने बताया कि पिछले दो सालों में उनके ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। इससे यह पता चले कि चीन ने हमारे क्षेत्र में किसी सड़क का निर्माण किया है। उन्होंने इसके साथ ही कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई के भारत-चीन सीमा के आसपास बसे गांवों में बेहतर डिजिटल ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के सुझाव को स्वागतयोग्य बताया। रक्षामंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। भारत-चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण के संबंध में किए गए मूल सवाल के जवाब में रक्षामंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इस जिम्मेदारी को निभाता रहा है। पिछले साल तक यह सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत कार्यरत था। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही इस विभाग को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के निर्माण में बजट की कोई बाधा नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो मंत्रालय अनुपूरक बजट ला सकता है। 2015-2020 की दीर्घावधि कार्ययोजना के तहत देश के सीमावर्ती इलाकों में 22,225.17 किलोमीटर लंबे 519 नए मार्गों का निर्माण किया जाना है।

FORTIS HEALTHCARE LIMITED
Corporate Identity Number: L85110DL1996PLC076704
Regd. Office: Escorts Heart Institute and Research Centre, Okhla Road, New Delhi-110025
Tel.: +91-11-4713 5000/2682 5000, Fax: +91-11-26825013
Email Id: secretarial@fortishealthcare.com
Website: www.fortishealthcare.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on August 5, 2016 completed the (a) circulation of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form through email to the Members whose email id's are registered in the Depository records and (b) dispatch of the same in physical mode along with a pre-paid Business Reply Envelope to the other Members, for seeking the consent of Members through Postal Ballot including e-voting by way of special resolution(s) as detailed in the Postal Ballot Notice. The Company has appointed Mr. Mukesh Manglik, Company Secretary in Whole-time Practice (C.P. No. 8476) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process and also to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Voting rights of Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. July 29, 2016.

Members are requested to note that facility of voting by electronic means (e-voting) is available to all the Members. Members can cast their e-votes at the website https://evoting.karvy.com/. Voting process through Postal Ballot as well as e-voting shall commence from August 5, 2016 at 1000 Hrs and end on September 6, 2016 at 1700 Hrs. Postal Ballot forms received after 1700 Hrs on September 6, 2016 shall not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date. The results of the postal ballot will be declared on Wednesday, September 7, 2016 at 1600 hrs at the registered office of the Company at Escorts Heart institute and Research Centre Okhla Road, New Delhi-110025. The same will also be hosted at the website of the Company at www.fortishealthcare.com and of Karvy Computershare Private Limited at https://evoting.karvy.com/. In case of non-receipt of Postal Ballot form, a Member may write to the Company Secretary at secretarial@fortishealthcare.com or to the Registrar and Transfer Agent- M/s. Karvy Computershare Private Limited at einward.ris@karvy.com and obtain a duplicate copy thereof. Any query or grievance in relation to voting by Postal Ballot including voting by electronic means may be addressed to the Company Secretary at secretarial@fortishealthcare.com and/or einward.ris@karvy.com.

The members who are not the members of the Company as at July 29, 2016 should treat this notice for information purposes only.

For Fortis Healthcare Limited
Sd/-
Rahul Ranjan
Company Secretary
Membership No.-A17035

Date: August 5, 2016
Place: Gurgaon

मंत्री को वीजा नहीं देने पर सरकार देगी बयान

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)। सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय श्रमिकों की मदद के वास्ते वहां की यात्रा पर जाने के लिए केरल के एक मंत्री को राजनयिक वीजा नहीं दिए जाने का मामला शुक्रवार को लोकसभा में उठा।

कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केरल के एक मंत्री ने इन भारतीयों की मदद के लिए सऊदी अरब जाने के लिए वीजा आवेदन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से मंत्री को वीजा नहीं दिया गया और विदेश मंत्री को इस मामले में बयान देना चाहिए। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि विदेश मंत्री इस मुद्दे पर सोमवार को सदन में बयान देंगी। शिवसेना के चंद्रकांत खैरे ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में अदरक और प्याज की खेती को भी शामिल करने की मांग की। भाजपा की रमा देवी ने बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर जिले के विकास का मुद्दा उठाया और केंद सरकार से रूपरेखा तैयार करने की मांग की। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने अवैध प्लसमेंट एजंसियों का मुद्दा उठाते हुए घरेलू कामकाजी महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार के लिए कार्रवाई की मांग की। इसी पार्टी की नीलम सोनकर ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग उठाई। शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने कहा कि पश्चिम रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है जिन्हें मध्य रेलवे में खाली पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। भाजपा के दद्दन मिश्रा ने कॉल ड्रॉपिंग की समस्या उठाई। इसी पार्टी के कौशल किशोर ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एनपीसीसी) में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इसके अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। भाजपा के विष्णु पद रे ने कहा कि अंडमान निकोबार में हजारों मजदूर अपनी मांगों को लेकर जल्द हड़ताल करने वाले हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के ही रवींद कुमार पांडेय ने साक्षरता मिशन में कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। भाजपा के प्रभुभाई वसावा ने सूरत से महुवा के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को रोजाना चलाने की मांग की। कांग्रेस के आर ध्रुवनारायण ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मियों की खाली जगहों को भरने की मांग की। भाजपा के ही निशिकांत दुबे ने 1978 में तत्कालीन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुए जल बंटवारा सौदे को अमली जामा पहनाए जाने की मांग की।

अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
CIN : L45101DL1967PLC004759
पंजी. कार्या.: 115, अंसल भवन, 16, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 23353550, 66302268/69/70/72, Website: www.ansalapi.com
ई-मेल आईडी: shareholderservice@ansalapi.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक जो अन्य विषयों के साथ वित्त वर्ष 2016-17 के 30 जून, 2016 को समाप्त प्रथम तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति से संबंधित विषय पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए शनिवार, 6 अगस्त, 2016 को आयोजित की जानी थी, को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के लिए
हस्ता/-
(अब्दुल समी)
कम्पनी सचिव

तिथि: 05.08.2016
स्थान: नई दिल्ली

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-3, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक नोएडा (उत्तर प्रदेश) में **शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016** को करना निश्चित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा एवं उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

यह सूचना कंपनी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nationalfertilizers.com, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./-
(राज कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.08.2016

Paramount Communications Limited
Regd. Office: C-125 Naraina Industrial Area, Phase-1, Naraina, New Delhi-110028
Phone: 91-11-45618800 Fax: 91-11-25893719-20 Web: www.paramountcables.com
CIN -L74899DL1994PLC061295.

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2016

(₹ in Lac)

Particulars	Quarter Ended			Year ended
	30.06.2016	31.03.2016	30.06.2015	31.03.2016
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	7,026.57	11,000.60	7,769.02	30,936.69
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(3,585.75)	(2,757.58)	(3,128.59)	(12,387.63)
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(3,585.75)	(2,757.58)	(3,128.59)	(12,387.63)
Paid up Equity Share Capital (₹ 2/- Per Equity Share)	2,504.67	2,504.67	2,504.67	2,504.67
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)				(36,893.07)
Earnings Per Share (of ₹ 2/-each) (Not Annualised):				
a) Basic	(2.86)	(2.20)	(2.50)	(9.89)
b) Diluted	(2.86)	(2.20)	(2.50)	(9.89)

Notes:
1) The above results reviewed by the Audit Committee have been taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 5th August, 2016.
2) Key data relating to Standalone Financial results of Company is as under:

(₹ in Lac)

Particulars	Quarter Ended			Year ended
	30.06.2016	31.03.2016	30.06.2015	31.03.2016
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	7,026.57	11,000.60	7,769.02	30,936.69
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(3,585.50)	(2,744.33)	(3,025.11)	(12,229.02)
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(3,585.50)	(2,744.33)	(3,025.11)	(12,229.02)

3) The financial figures for the quarter ended March 31, 2016 are the balancing figure between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published year- to -date figures up to the third quarter ended December 31, 2015.
4) The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2016 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.paramountcables.com and the stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

By and on behalf of the Board
For PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD.
Sd/-
Sanjay Aggarwal
Chairman & CEO
DIN:00001788

Place: New Delhi
Date : 05th August, 2016

Selan Exploration Technology Limited
Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110043
CIN: L74899DL1985PLC021445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13 August 2016 to consider and take on record, inter-alia, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2016.

For Selan Exploration Technology Ltd.
Sd/-
Meenu Goswami
Company Secretary

Place: Gurgaon
Date: 05 August 2016

DR. M. SOY PROTEINS LIMITED
Regd Office: 25/12A, Gali No. 8, Anand Parbat, New Rohtak Road, New Delhi-110005
CIN: L01119DL1986PLC023698
E-mail Id: drmsoy@gmail.com,
Ph.: 011-28716806

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Saturday,August 13, 2016** inter-alia to consider and approve theUn-audited Financial Results of the Company for the Quarterended30.06.2016 and Audited Financial Results for year ending 31.03.2016.

Further for abovementioned purpose the Trading Window for dealing in Securities of the Company would remain closed w.e.f. 07.08.2016 to 13.08.2016 (both days inclusive) for insiders for the purpose of announcement of aforesaid results pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For Dr. M. Soy Proteins Limited
Sd/-
R. Krishnan
Director
DIN: 06932865

Place: New Delhi
Date: 05.08.2016

IO SYSTEM LIMITED
Regd. Office: Global Knowledge Park, Plot No.19A & 19B, Sector-125, NOIDA-201 301 (U.P.)
CIN: L65921UP1987PLC008764
E-mail: iosystemltd@gmail.com

NOTICE

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("LODR Regulations"), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Sunday, 14th August, 2016 *inter-alia* to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2016, pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

This notice and the unaudited results of the Company, once approved by the Board, shall be available on the website of the Company at www.iosystem.co.in. and the BSE website www.bseindia.com

for IO System Limited
Sd/-
(Arun Seth)
Director
DIN: 00007895

Place: Noida
Date: 05.08.2016

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर,-246761, यू.पी
CIN: L15249UP1933PLC000511, फोनः (011) 30659400, फैक्सः (011) 26935697
ई-मेलः investordesk@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (दि "कंपनी") के सदस्यों की 81वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") नोटिस में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए गुरूवार, 30 अगस्त, 2016 को अप. 2:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय शुगर मिल कम्पाउंड, धामपुर, जिला बिजनौर, उ.प्र. में आयोजित की जाएगी।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 में समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर अंतरण पुस्तिका गुरूवार, 23 अगस्त, 2016 से मंगलवार, 30 अगस्त, 2016 (दोनों दिवस शामिल) तक वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी के 81वीं एजीएम के नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर स्वीकार्य पद्धति में और जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत है, उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी जा चुकी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 प्रावधानों के अनुसार और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के रूप में कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 द्वारा संशोधित और सूचीकरण विनियमनक के विनियम 44 के अनुसार कंपनी उपरोक्त एजीएम के विचाराधीन सभी प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है।

इसके अलावा एजीएम में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(i) कंपनी 81वीं एजीएम की नोटिस में निर्दिष्ट सामान्य व्यवसायों और विशेष व्यवसायों का निष्पादन मतदान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया जा सकता है;
(ii) रिमोर्ट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 अगस्त, 2016 (प्रातः 9.00 आईएसटी) से प्रारम्भ होगी।
(iii) रिमोर्ट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 29 अगस्त, 2016 (सायं 5.00 आईएसटी) पर समाप्त होगी।
(iv) कट-ऑफ तिथि : 23 अगस्त, 2016
(v) कोई व्यक्ति जो सूचना प्रेषित होने के बाद कम्पनी के शेयर प्राप्त करता है, और कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 अगस्त, 2016 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक निवेदन भेजकर या एनएसडीएल से 022-24994600 पर सम्पर्क करके लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो, वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान करने के लिए कर सकता है;
(vi) सदस्य ध्यान दें कि-
  a. रिमोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति सोमवार, 29 अगस्त, 2016 (सायं 5.00 बजे) के बाद नहीं होगी।
  b. मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने के सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होगें;
  c. कोई भी सदस्य रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी; और
  d. कोई व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाये गये सदस्य रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 अगस्त, 2016 तक दर्ज है, वह ही रिमोर्ट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान करने की सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
(vii) कंपनी 81वीं एजीएम का सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है; और
(viii) पूछताछ के मामले में सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'सदस्यों के लिए बहुधा पूछे गये प्रश्न (एफएक्यूज)' और 'सदस्यों हेतु ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल' देख सकते हैं या श्री आर एस मौर्या, उप प्रबंधक/श्री विजय प्रताप सिंह, उप प्रबंधक, अलंकित एसाइनमेंट्स लिमि., 4ई/2 झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन नं. 011-42541953, ईमेलः rta@alankit.com या टॉल फ्री नं. 022-24994600 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों का निष्पादन करेगें।

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
अरहन्त जैन
कार्यपालक अध्यक्ष (वित्त) एवं
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 06.08.2016

वैल्यू ऐज रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 1, जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013, भारत
फोन : +91-120-4854600 ; ई-मेल : accounts@valuedge.com;
वेबसाइट : www.valuedge.com , सीआईएन : U74900DL2009PTC189103

सूचना

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मामले में

तथा

वैल्यू ऐज रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1, जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013, भारत में स्थित है, के मामले में

.....याचिकादाता कम्पनी

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि याचिकादाता कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए याचिकादाता कम्पनी को सक्षम बनाने हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2016 को विधिवत आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में याचिकादाता कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित याचिकादाता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकता है, जिसकी एक प्रति याचिकादाता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय के नीचे दिए पते पर भेजी जानी चाहिए :

पंजीकृत कार्यालय : 1, जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013, भारत

वास्ते वैल्यू ऐज रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
रोहित आनंद
निदेशक

तिथि : 5 अगस्त, 2016
स्थान : नई दिल्ली

शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
इन्दिरापुरम शाखा, राइसन शॉपिंग कॉम्प्लैक्स,
प्लॉट नं. 3, अहिंसा खण्ड-II, इन्दिरापुरम

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत) अचल सम्पत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.5.2016 जारी कर जो जनसत्ता तथा फाइनांसियल एक्सप्रैस तिथि 28.05.2016 प्रकाशित की गई थी, ऋणधारक श्री सुनील सिंह, पुत्र नकली कुमार एवं श्रीमती दुर्गेश देवी, पत्नी सुनील कुमार (ऋणधारक), प्लॉट नं. 530, एसएफ-1, नीति खंड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 10.05.2016 को रु. 22,96,413.89 (रुपए बाईस लाख छियानवे हजार चार सौ तेरह एवं पैसे नवासी मात्र) तथा आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **दि